

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new article 21B)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।